

GOVERNMENT OF INDIA


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 75

No. 117]

DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

[N.C.T.D. No. 75

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2019

सं.डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2014/26079.—जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप दिनांक 26.10.2018 की अधिसूचना सं. फा. डीसी/ओप्स/टीपीटी/2014/445 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाला दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 26 अक्टूबर, 2018 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 के साथ पठित दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2 (q) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।
2. नियम 34क (1) का संशोधन दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 34क के उपनियम (1) में

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“किसी भी गैर-परिवहन चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन की स्थिति में निम्न तालिका के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण श्रृंखलाओं में से किसी श्रृंखला में आबंटन श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के संबंध में खुली निलामी द्वारा सर्वाधिक बोली देने वाले को अतिरिक्त भुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा तथा श्रेणी 5 एवं 6 के संबंध में निम्न तालिका वर्णित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा।

पसंद के पंजीकरण चिन्ह/संख्या तथा वर्तमान पंजीकरण चिन्ह/संख्या के प्रतिधारण हेतु प्रक्रियागत प्रभारों के समनुदेशन के लिये शुल्क				
श्रेणी	पंजीकरण संख्या/चिन्ह	श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के लिये न्यूनतम आरक्षित मूल्य तथा श्रेणी 5 एवं 6 के लिये अतिरिक्त शुल्क		आवंटन की पद्धति
		चार पहिया वाहन	दो पहिया वाहन	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	पांच लाख रुपये	पचास हजार रुपये	ई-बोली द्वारा
2	0002 से 0009	तीन लाख रुपये	तीस हजार रुपये	
3	0010 से 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 एवं 9999	दो लाख रुपये	बीस हजार रुपये	
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 तथा 1313	एक लाख पचास हजार रुपये	पन्द्रह हजार रुपये	
5	कोई भी अन्य पंजीकरण चिन्ह, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पसंद की पंजीकरण चिन्ह के रूप में मांगा गया है जो पंजीकरण चिन्हों की श्रृंखलाओं में संख्याओं की क्रमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया जाता है।	पच्चीस हजार रुपये	दो हजार पांच सौ रुपये	आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अतिरिक्त भुल्क के भुगतान पर किया जाएगा।
6	नए गैर परिवहन चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण चिन्ह का प्रतिधारण	प्रतिधारण करने वाले पंजीकरण चिन्ह की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या 25,000 / - रुपये जो भी अधिक हो।	प्रतिधारण करने वाले पंजीकरण चिन्ह की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या 25,00 / - रुपये जो भी अधिक हो।	यथा लागू कॉलम 2 या 3 में यथाउल्लिखित अतिरिक्त भुल्क के भुगतान पर प्रतिधारण की अनुमति दी जायेगी।
		पंजीकरण चिन्ह के प्राधिकरण की अनुमति तभी होगी जबकि पंजीकरण चिन्ह आवेदन की तिथि पर, आवेदक के नाम पर कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।		

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी की गई है।

ज्योति सेठ, उपायुक्त (ऑपरेशन I)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th June 2019

No. DC/OPS/Tpt./2014/26079.—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, vide Notification No. F.DC/OPS/TPT/2014/445 dated 26.10.2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th October, 2018.

And whereas, no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65, read with rule 2(q) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 are hereby made, namely :-

Rules

Short Title and Commencement **1** (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment in Rule **2** In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in Rule 34A, for sub-rule(1), the following shall be substituted,

“In case of non-transport four wheeled vehicle and two wheeled vehicle, the assignment of registration mark as specified in column 1 of the table given below, in any available series of registration marks shall be made available only on payment of additional fee to the highest bidder selected through open auction in respect of category 1, 2, 3 & 4 and on payment of additional fee in respect of category 5 & 6 as per table given below :-

Fee for the assignment of Registration mark of choice and Processing charges for retention of existing Registration Mark:					
Category	Registration Marks / Numbers	Minimum Reserve Price for Category 1, 2 3 & 4 and Additional fee for Category No. 5 & 6		Mode of allotment	
		Four wheeled Vehicles	Two Wheeled Vehicles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1	0001	Rupees Five Lakhs.	Rupees Fifty Thousands.	Through e - auction.	
2	0002 to 0009	Rupees Three Lakhs.	Rupees Thirty Thousands.		
3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 & 9999	Rupees Two Lakhs.	Rupees Twenty Thousands.		

4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 & 1313	Rupees One Lakh & Fifty Thousands	Rupees Fifteen Thousands.	
5	Any other registration mark which is not mentioned in category no. 01 to 04 is sought by a person as a registration mark of choice by jumping the chronological order of numbers in a series of registration marks.	Rupees Twenty Five Thousands.	Rupees Two Thousand & Five Hundreds.	The allotment shall be made on payment of additional fee through on-line software on first come first serve basis.
6.	Retention of existing Registration Mark on purchase of new non-transport Four wheeled vehicle or Two wheeled vehicle	10% of the minimum Reserve Price of the category of the number to be retained or Rs.25,000/- whichever is higher	10% of the minimum Reserve Price of the category of the number to be retained or Rs.2,500/- whichever is higher	The retention shall be allowed on payment of additional fee as mentioned in Column 2 and 3, as applicable.
		The Retention of registration mark will be allowed, only if the registration mark has remained registered in the name of the applicant for a minimum period of three years, as on the date of application for retention.		

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Transport), Govt. of NCT of Delhi.

JYOTI SETH, Dy. Commissioner (Operations-I)